भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 721
जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है

एचईसी कर्मचारियों को सांविधिक लाभ

721. श्री राम टहल चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके सांविधिक लाभों के भुगतान में विलंब के कारण विरोध करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एचईसी, रांची के कर्मचारियों को देय राशि का समय पर भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क): एचईसी ने सूचित किया है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विलंब अवधि के दौरान उनके उपदान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, रांची के पास मामला दर्ज कराया है।

(ख): एचईसी ने सूचित किया है कि 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार उपदान शीर्ष के अंतर्गत ₹37.04 करोड़ की राशि का सांविधिक भुगतान किया जाना लंबित है।

चूंकि, कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है अतः एचईसी, कर्मचारियों को उनके सांविधिक देयों का भुगतान करने में असमर्थ रही है।

(ग): एचईसी को वर्ष 2014 में ₹47.89 करोड़ का ऋण एकबारगी सहायता के रूप में दिया गया था जिससे कंपनी अपने कर्मचारियों को 31.03.2014 तक के लिए संचित उपदान देयों का भुगतान कर सकी। एचईसी ने सूचित किया है कि वह 31.03.2014 तक उपदान देयों का अधिकांश भुगतान करने में समर्थ रही है।

******